

उत्तर प्रदेश में बायो-डीजल (बी-100) के उत्पादन हेतु आवेदन पत्र

1-	आवेदक का नाम	
2-	आवेदक किस प्रकृति का है (यथा प्रोप्राइटर फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट/समिति आदि) और इसका पंजीयन नम्बर	
3-	आवेदक का पंजीकृत पता	
4-	यदि आवेदक इकाई जी0एस0टी0 में पंजीकृत है तो जी0एस0टी0 का पंजीयन नम्बर	
5-	आवेदक इकाई का पैन नम्बर	
6-	आवेदक इकाई की मेल आई0डी0	
7-	आवेदक इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम	
8-	आवेदक इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि का मोबाइल नम्बर	
9-	आवेदक इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि का मेल आई0डी0	
10-	आवेदक इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि का पहचान पत्र का विवरण	
11-	पता जहां पर उत्पादन इकाई लगायी जा रही है	
12-	चौहद्दी जहां पर उत्पादन इकाई लगायी जा रही है (ले-आउट संलग्न किया जाये)	
13-	उत्पादन इकाई की उत्पादन क्षमता	
14-	उत्पादन इकाई की भण्डारण क्षमता	
15-	आवेदक द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क (जमा की गयी धनराशि, जमा करने का माध्यम तथा जमा करने की तिथि)	
16-	निम्न विभागों से सम्बन्धित पंजीयन/अनुमति/अनापत्ति अभिलेख संलग्न करने की प्रास्थिति	
क-	स्थानीय जिलाधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल उत्पादन कम्पनियों की उत्पादन इकाईयों के लिए किया जा रहा है।	
ख-	पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पी0ई0एस0ओ0) लाइसेंस (यथा अपेक्षित)	
ग-	राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग प्राधिकरण/इकाई	

घ-	प्रदेश का मापतौल विभाग	
च-	अग्निशमन विभाग	
छ-	दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम	
ज-	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पर्यावरणीय स्वीकृति	

नोट- आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या-2, 4, 5, 10, 12, 15 तथा 16 में वर्णित सुसंगत अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जायें।



(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
संयुक्त शासन